परिशिष्ट - 3
(नियम क्र. 8 (1) देखें)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ...वाड्रफनगर... जिला ...सरगुजा... (छ.ग.)

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण पत्र क्रमांक ..05.......... प्रकरण क्रमांक ......671.......

जाति प्रमाण - पत्र
(स्थाई)

8/11/2001/2002

यह प्रमाणित किया जाता है कि/श्रीमती/कुमारी ...श्रीकुन्तला देवी...

पिता/पति का नाम ...लालबहादुर... निवासी ग्राम/नगर ...मुरकौल...

डि.ख. ...वाड्रफनगर... तहसील ...वाड्रफनगर... जिला ...सरगुजा... संभाग ...बिलासपुर...

जाति/जनजाति का/कि सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अर्थ. . मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ......गोंड........ जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ....16.......... पर अंकित है, अतः श्री/श्रीमती/कुमारी ...श्रीकुन्तला देवी... पिता/पति का नाम ...लालबहादुर... .... अनुसूचित जाति/ जनजाति का/की है।

२. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/ कुमारी ....
के परिवार की कुल वार्षिक आय ......—...... रुपये है।

सील
दिनांक ...11/1/2002...

हस्ताक्षर
(प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पदनाम
वाड्रफनगर

NOTARY ... INDIA

TRUE COPY ATTESTED
Arvind Ku. Kanaujiya
Notary/Advocate
Surajpur (C.G.)
18 MAR 2025

सत्य प्रतिलिपि
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-सूरजपुर

TRUE COPY
20/10/23
A.K. GOYAL
NOTARY
SURAJPUR
DISTT SURAJPUR (C.G.)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा लिया जाए)

(संविधान के अनुच्छेद 173(A))

मैं ......शकुन्तला सिंह पोर्ते...... जो विधानसभा में एक स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा।

S. Singh

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और
बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती ......शकुन्तला सिंह पोर्ते...... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 2023 के ......अक्टूबर...... माह 26/10/23 दिवस को संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर (भूतल) कक्ष क्र. (A-2) 2 (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

(दीपिका नेताम)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधान सभा क्षेत्र-06
विधानसभा क्षेत्र क्रमांक
06 प्रतापपुर(अजजा)

S. Singh

TRUE COPY
26/10/23
A.K. GOYAL
NOTARY
SURAJPUR
DISTT SURAJPUR (C.G.)

NOTARY
ANIL KUMAR GOYAL
Surajpur (C.G.)
Regn. No. 17750
INDIA

सत्य प्रतिलिपि

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-सूरजपुर

TRUE COPY ATTESTED
Arvind Ku. Kanaujiya
Central Notary/Advocate
Ambikapur Surguja (C.G.)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप

(राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी द्वारा लिया जाए)

(संविधान के अनुच्छेद 173(A))

मैं ......शकुंतला सिंह पोर्ते...... जो विधानसभा में एक स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, और मैं भारत की संप्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और

बड़े अक्षर में नाम

श्री/श्रीमती ......शकुंतला सिंह पोर्ते...... द्वारा मेरे समक्ष वर्ष 2023 के ......अक्टूबर...... माह 26/10/23 दिवस को संयुक्त जिला कार्यालय भवन सूरजपुर (भूतल) कक्ष क्र. (A-2) 2 (स्थान) में ईश्वर की शपथ ली/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया।

(दीपिका नेताम)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधान सभा क्षेत्र-06

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक

06 प्रतापपुर(अजजा)

सत्य प्रतिलिपि

उप जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-सूरजपुर

18 MAR 2025

TRUE COPY ATTESTED

Arvind Ku.Kanaujiya

Central Notary/Advocate

Ambikapur Surguja (C.G.)

RM- 290/23
c/Rs 20/-

CANCELLED

प्ररूप 26

(नियम 4 क देखिए)

A. KUMAR GOYAL
NOTARY Surajpur (C.G)
Regn.No.-17750
Ex.Dt.12-12-2024

प्रतापपुर निर्वाचन– क्षेत्र कमॉक 06 अजजा से

विधान सभा छ.ग. (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नाम–निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

मैं श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते पत्नी श्री लाल बहादुर सिंह पोर्ते आयु 43 वर्ष, जो ग्राम आसनडीह, पोष्ट जनकपुर, तहसील– रघुनाथनगर,जिला बलरामपुर छ.ग. पिन 497225 की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करती हूँ :–

1. मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ी की गया अभ्यर्थी के रूप में लड़ रही हूँ।
2. मेरा नाम कोलपारा, प्रतापपुर कमॉक 06 छत्तीसगढ़ (निर्वाचन–क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 20 के कम सं. 1035 पर प्रविष्ठ है।
3. मेरा मोबाईल नम्बर 9174149992 संपर्क दूरभाष संख्या है और shakuntalasingh267@gmail.com मेरा ईमेल पता (यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।

   (i) facebook – shakuntala.singhportey

   (ii) instagram – shakuntalaportey4bjp

   (iii) twitter - shakuntalaa4bjp

4. स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

कम सं.	नाम	पीएएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय(रूपए में)
1	श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	CPDPP1295J	2018-19	(I) निरंक

NOTARY ANIL KUMAR GOYAL Surajpur (C.G) Regn.No. 17750 Ex.Dt. 12-12-2024 GOVT. OF INDIA
26/10/23

TRUE COPY ATTESTED
Arvind Ku. Kanaujiya
Central Notary/Advocate
Ambikapur Surguja (C.G)

सत्य प्रतिलिपि
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-सूरजपुर

			2019-20	(ii) निरंक
			2020-21	(iii) निरंक
			2021-22	(iv निरंक
			2022-23	(v) 363630.00
2	श्री लाल बहादुर सिंह पोर्ते	CUJPS1274D	2018-19	(i) 504256.00
			2019-20	(ii) 517390.00
			2020-21	(ii) 550672.00
			2021-22	(iv) 556490.00
			2022-23	(v) 645677.00
3	हिन्दू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक हैं)	निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
4	आश्रित–1	निरंक	निरंक	निरंक
	सौरभ सिंह पोर्ते	निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
5	आश्रित–2	निरंक	निरंक	निरंक
	कु. तन्वी सिंह पोर्ते	निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
6	आश्रित–3	निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक
		निरंक	निरंक	निरंक

टिप्पणी : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता(पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।

5. लंबित आपराधिक मामले

NOTARY ANIL KUMAR GOYAL Surajpur (C.G.) Regn.No. 17750 Ex.Dt.- 12-12-2024 GOVT.OF INDIA 26/10/23

TRUE COPY ATTESTED
Arvind Ku.Kanaujiya
Central Notary/Advocate
Ambikapur Surguja (C.G.)

18 MAR 2025

सत्य प्रतिलिपि
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-सूरजपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) वाड्रफनगर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)

क्रमांक/ 652 /वाचक/अ0वि0अ0/2025 वाड्रफनगर दिनांक – 01/05/2025

प्रति,

सदस्य/सचिव
जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :– श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, विधायक प्रतापपुर का फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र की सुक्ष्म व गहन जांच कर निरस्त करने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने बाबत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक/113/जा0प्र0प0/अजाक/2025–26 बलरामपुर दिनांक 11/04/2025.

––00––

विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक धन सिंह धुर्वे ग्राम पोस्ट नवगई तहसील रघुनाथनगर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के द्वारा श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक विधानसभा 06–प्रतापपुर का फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र की सुक्ष्म व गहन जांच कर निरस्त करने हेतु सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन सह अभिलेख चाही गई है।

उक्त संबंध में इस कार्यालय में संधारित दायरा पंजी वर्ष –2001–02 का अवलोकन किया गया। जिसमें रा0प्र0क्र0 671/ब–121/2001–02 दिनांक 11.07.2001 को दर्ज पाया गया है। उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक से 22–23 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में उक्त प्रकरण का अभिलेख इस न्यायालय में उपलब्ध नहीं है। मूल अभिलेख जिला अभिलेखागार अम्बिकापुर जिला सरगुजा अथवा बलरामपुर से मांग किया जा सकता है।

अतएव उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
वाड्रफनगर
जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

एनदराफअन

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

डब्ल्यू.पी.सी. संख्या 2966/2025

1- जय श्री सिंह पुसम स/ओ बेचन सिंह एज्ड अबाउट 62 इयर्स र/ओ गुरमती, महेवा, वाड्राफनगर, बलरामपुर छत्तीसगढ़

.. याचिकाकर्ता

बनाम

1 छत्तीसगढ़ राज्य सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से

2 छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अपने अध्यक्ष/अध्यक्ष के माध्यम से, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़

3- उच्च शक्ति प्रमाणीकरण छानबीन समिति रायपुर छत्तीसगढ़ अपने सदस्य/सचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-4, रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से

4- जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति अपने अध्यक्ष/सचिव के माध्यम से जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

5 कलेक्टर/रिटर्निंग अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़

6 कलेक्टर/रिटर्निंग अधिकारी जिला. बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

7 सब डिविसिओनल ऑफिसर वाड्राफनगर, डिस्ट. बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़

8 श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते पत्नी श्री लाल बहादुर सिंह पोर्ते, उम्र लगभग 43 वर्ष, पता आसनडीह, पोस्ट जनकपुर, तहसील रघुनाथ नगर, जिला। बलरामपुर छत्तीसगढ़

Translated with Google Lens

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	: श्री रजा अली, अधिवक्ता
प्रतिवादी के लिए	एमआरएस. उपासना मेहता, डी. ग. ए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

17/06/2025

1. पक्षकारों की सहमति से वर्तमान याचिका पर अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है:

"10.1 एक रिट और/या उपयुक्त रिट की प्रकृति का एक आदेश जारी किया जाता है जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले से संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेख इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

10.2 उचित प्रकृति की रिट की प्रकृति में एक रिट और/या आदेश प्रतिवादी संख्या को निर्देश देते हुए जारी किया जाता है।

6 से 7 को प्रतिवादी सं. 4 को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है तथा आगे प्रतिवादी सं. 3 और 4 को प्रतिवादी सं. 8 के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से संबंधित कार्यवाही यथाशीघ्र उस समयावधि के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

10.3 कोई अन्य अनुतोष जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समझे।

Translated with Google Lens

10.4 याचिका की लागत भी प्रदान की जा सकती है।"

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 8 ने छत्तीसगढ विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट प्रतापपुर जिला सूरजपुर के विधानसभा सीट क्रमांक 6 से भाग लिया है और प्रत्यर्थी क्रमांक 8 द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र जाली है, तथापि इसे घोषित करने के लिए प्रत्यर्थी क्रमांक 3 और 4 अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य उच्चाधिकार प्रमाणीकरण छानबीन समिति और जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा प्रक्रिया का सत्यापन किया जाना है और उक्त कार्यवाही शुरू की गई है और प्रत्यर्थी क्रमांक 4 द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 7 को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, लेकिन आज तक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए जांच लंबित है और इसलिए उक्त कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश आवश्यक हैं अन्यथा अनुसूचित जनजातियों का अधिकार जिसके लिए विधान सभा की उक्त सीट आरक्षित की गई है, पराजित हो जाएगा।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 3 और 4 ने उपरोक्त मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन इसे लंबित रखा गया है और इसलिए इसे शीघ्र निपटाने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 5 से 7 प्रतिवादी संख्या 8 के जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा शुरू की गई सत्यापन प्रक्रिया लंबित है।

5. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मामला प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के समक्ष लंबित है, इसलिए उन्हें मामले को शीघ्रता से तय करने के लिए निर्देश जारी किया जा सकता है और वर्तमान याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

Translated with Google Lens

6. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

7. चूंकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 और 4 को उसके आवेदन पर निर्णय लेने के लिए निर्देश देने के लिए सीमित रूप से प्रार्थना की है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी संख्या और 4 को निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लें।

8. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

एसडी/-

(अरविंद कुमार वर्मा) न्यायाधीश

मधुरिमा

Translated with Google Lens

रजिस्टर्ड डाक पंजीबद्ध डाक से

कार्यालय कलेक्टर अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0गढ़)

क्रमांक /11329/राअभि0को0/2025 अम्बिकापुर दिनांक 28/05/2025

प्रति,

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास
जिला–बलरामपुर –रामानुजगंज
मुख्यालय बलरामपुर (छ0ग0) ।

विषयः– श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते,विधायक प्रतापपुर का फर्जी/गलत जाति प्रमाण पत्र की सुक्ष्म व गहन जांच कर निरस्त करने के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास)जिला बलरामपुर का पत्र क्रमांक 564/जा0प्र0प0/आजाक/2025–26 बलरामपुर दिनांक 05/05/2025।

—000—

विषयान्तगर्त संदर्भित पत्र द्वारा रा0प्र0क्र0 671/ब–121/2001–02 प्रकरण की मांग की गई है। चुकि उक्त प्रकरण जिला बलरामपुर से संबंधित है। जिला बलरामपुर के समस्त प्रकरण जिला विभाजन के उपरान्त संबंधित जिला में भेज दिया गया है। एवं ग्राम पंजी भी भेजा जा चुंका है।

अतः प्रकरण का सत्यप्रतिलिपि प्रदाय किया जाना संभव नही है।

सूचना के अधिकार के तहत् प्रदत्त

प्रभारी अधिकारी
राजस्व अभिलेख कोष्ठ
सरगुजा

सत्यप्रतिलिपि

सहायक जनसूचना अधिकारी
आदिम जाति कल्याण विभाग
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास विभाग
जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

ATTESTED
Jagarnath Prasad Gupta
CENTRAL NOTARY
Balrampur-Ramanujganj (C.G.)

20 AUG 2025

(14)

Rs.5 FIVE RUPEES — CANCEL

Rs.2 भारत INDIA TWO RUPEES — CANCEL

2117012520100990
04-06-2025
25-06-2025

कार्यालय श्रीमान मुख्य प्रतिलिपिकार महोदय, आधुनिक रीकार्डागार, बलरामपुर
जिला-बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

नकल मिलने हेतु आवेदन-पत्र

नाम मिसल — राजस्व विभाग

अदालत — अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वाड्रफनगर

नाम फरिकैन — शकुन्तला देवी पति लाल बहादुर

निवासी ग्राम — उदिया मोन जनकपुर प.ह.न.

तहसील — वाड्रफनगर / रघुनाथनगर जिला-बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)

नक्शा / खसरा / बी-1

रा.प्र.क्र. — प्रमाण पत्र क्र. 05 प्रकरण क्रमांक - 671/ब.121/2001/002

पारित दिनांक — 11.07.2002 अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाड्रफनगर एवं

संलग्नानुसार

वांछित नकल — महाशय,

आवेदक को

प्रकरण क्रमांक 671/ब.121/2001/002 में संलग्न सभी सेरलमेंट सहित समस्त दस्तावेजों की प्रमाण पत्र क्रमांक 05 प्रकरण क्रमांक - 671 ब.121/2001/002 दिनांक 11.07.2002

निम्न नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय करें।

निजी उपयोग एवं आवश्यकतानुसार सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में न्यायालयीन उपयोग हेतु।

[illegible] 25/06/25

दिनांक 04/06/25

बलरामपुर

आवेदक 04/06/25
धन सिंह दुर्वे

ATTESTED
Jagarnath Prasad Gupta
CENTRAL NOTARY
Balrampur-Ramanujganj (C.G.)
20 AUG 2025

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला बलरामपुर–रामानुजगंज
मुख्यालय बलरामपुर (छ0ग0)

क्रमांक/2096/जा0प्र0प0/आजाक/2025–26 बलरामपुर, दिनांक 29 SEP 2025

प्रति,

श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते
विधायक, विधानसभा–प्रतापपुर
पता– निवासी ग्राम मुढ़ीया पोस्ट जनकपुर
तहसील रघुनाथनगर
जनपद पंचायत वाड्रफनगर
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

विषय :– दिनांक 17.10.2025 को जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति के समक्ष उपस्थित होने बावत्।

संदर्भ :– (1) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1775/दिनांक 28.08.2025
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1949/दिनांक 15.09.2025

—00—

विषयान्तर्गत आपको जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र (स्थायी) के सत्यापन के संबंध में आवेदक धन सिंह धुर्वे ग्राम व पोस्ट नवगई थाना व तहसील रघुनाथनगर के द्वारा शिकायत आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा आवेदक जयश्री सिंह पुसाम पिता बेचन सिंह ग्राम गौरमाटी, महेवा, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक WPC No. 2966/2025 दायर किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण पर यथाशीघ्र अभिलेख प्रस्तुत करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपका **"गोंड़"** अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, जिन अभिलेखों के आधार पर उक्त स्थायी जाति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है, उन अभिलेखों की मूल प्रति के साथ–साथ पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, जन्म–मृत्यु संबंधी पंजीयन, शालेय दाखिल खारिज पंजी, निवास संबंधी अभिलेख अथवा अन्य सुसंगत अभिलेखों को समिति के समक्ष दिनांक 17.10.2025 को समय प्रातः 11.00 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/2097/जा0प्र0प0/आजाक/2025–26 बलरामपुर, दिनांक 29 SEP 2025

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर कलेक्टर (स्टेनो शाखा) जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0) को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुविभाग–वाड्रफनगर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0) को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार–वाड्रफनगर को सूचनार्थ।
5. मंडल संयोजक– वाड्रफनगर को सूचनार्थ। आप संबंधित को पत्र तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. आवेदक धन सिंह धुर्वे ग्राम व पोस्ट नवगई थाना व तहसील रघुनाथनगर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ।
7. आवेदक जयश्री सिंह पुसाम पिता बेचन सिंह ग्राम गौरमाटी, महेवा, वाड्रफनगर जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला स्तरीय जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)